न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

नाथूराम पुत्र श्री लालसिंह कुशवाह,
निवासी – ग्राम ररूआजीवन, तहसील
इन्दरगढ़, जिला दतिया (म0प्र0)

—— आवेदक

बनाम

धनवन्ती पुत्री श्रीलालसिंह पत्नी कड़ोरी,
निवासी – ग्राम ररूआजीवन, तहसील
इन्दरगढ़, जिला दतिया (म0प्र0)

—— अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2017 द्वारा पारित अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् एस0डी0ओ0 सेवढ़ा, जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 91/अपील/2016–17 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् एस0डी0ओ0 सेवढ़ा, जिला दतिया के द्वारा अपील समयावधि वाह्य एवं ग्राह्यता पर प्रथमदृष्टया अमान्य किये जाने योग्य होने के उपरांत भी पारित किया आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी के हित में नामान्तरण पंजी क्रमांक 6 आदेश दिनांक 02.07.1986 को विधिवत पारित किया। अनावेदक एवं उसकी मॉ के द्वारा सहमति के आधार पर नामान्तरण आवेदक के हित के किया गया।

3– यहकि, आवेदक के हित में किये गये नामान्तरण आदेश के बावत् अनावेदक एवं उसकी मॉ को नामान्तरण आदेश दिनांक से जानकारी थी और अनावेदक, आवेदक के पास ही एक ही स्थान पर निवासरत् निरन्तर है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और ना ही ऐसे

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/दतिया/भूरा/2017/2658

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ0पी0 शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेवढा जिला दतिया के प्रकरण कमांक 91/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 6/07/17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/3/19 सदस्य कलेक्टर जिला दतिया	